श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

618, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर–452007
दूरभाष : 0731-2432822 फैक्स : 0731-2536600
ई–मेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://labour.mp.gov.in

परिपत्र

निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 2024 जारी किया गया है। उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के संसदीय क्षेत्रों में दिनांक 19.04.2024(शुक्रवार), 26.04.2024(शुक्रवार), 07.05.2024(मंगलवार), एवं 13.05.2024 (सोमवार) को निम्नानुसार मतदान होगाः–

क्र.	मतदान की तिथि	संसदीय क्षेत्र क्रमांक	संसदीय क्षेत्र का नाम
1.	19.04.2024	11,12,13,14,15,16	सीधी,शहडोल,जबलपुर,मंडला,बालाघाट छिन्दवाडा
2.	26.04.2024	6,7,8,9,10, 17,29	टीकमगढ,दमोह,खजुराहो,सतना,रीवा, होशंगाबाद, बैतूल
3.	07.05.2024	1,2,3,4,5,18,19,20	मुरैना,भिण्ड,ग्वालियर,गुना,सागर,विदिशा, भोपाल,राजगढ
4.	13.05.2024	21,22,23,24,25,26,27,28	देवास,उज्जैन,मंदसौर,रतलाम,धार,इंदौर, खरगोन,खंडवा

Satna News Breaking

इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट क्रमांक ECI/PN/23/2024 दिनांक 16.03.2024 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 20/चार/2024/3277–78 दिनांक 16.03.2024 में अवगत कराया गया कि लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 की धारा 135–ख के प्रावधानानुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवसों को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश हैं तथा यह उल्लेख है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि (Substantial) स्वेद्ध हो सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे।

इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध दण्ड के प्रावधान है।

अतएव प्रदेश में लोकसभा के आम निर्वाचन 2024 के संसदीय क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकम अथवा अन्य किसी स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का समुचित परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

20/03/2024

(स्वतंत्र कुमार सिंह)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

निरंतर–2

क्रमांकः– 9/27/तीन/2018/10073-133 इन्दौर, दिनांक 20/03/2024

प्रतिलिपि–

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

Satna News Breaking

4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, जनसम्पर्क भवन, भोपाल की ओर अतिरिक्त प्रति सहित। कृपया प्रदेश के सभी स्थानीय तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के लिए प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त जिलाध्यक्ष एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, इंदौर की ओर समस्त मीडिया में प्रकाशनार्थ।
10. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

20/03/2024

श्रमायुक्त,

मध्यप्रदेश, इन्दौर